प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 20 अप्रैल, 2017**

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक सं0-64/3-लेखा/बजट आवंटन/2017-18 दिनांक 06 अप्रैल, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष पर्यटन विभाग के अनुदान सं0 44 के अन्तर्गत व्यवस्थित लेखानुदान निम्न तालिका के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्ष/मद में उसके सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित विवरण के अनुसार रू0 1306.02 लाख की धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

लेखाशीर्ष/मानक मद	**वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक**	**लेखानुदान के रूप में प्रथम पांच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिए निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि**
-1-	**-2-**	**-3-**
राजस्व लेखा 3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय		
01-वेतन	679.76	283.23
02-मजदूरी	5.00	2.08
03-महंगाई भत्ता	33.99	14.16
04-यात्रा व्यय	5.00	2.08
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	0.83
06-अन्य भत्ते	31.74	13.23
07-मानदेय	0.50	0.21
08-कार्यालय व्यय	3.00	1.25
09-विद्युत देय	60.00	25.00
10-जलकर/जल प्रभार	4.00	1.67
11-लेखन सामग्री और फर्मो की छपाई	2.50	1.04

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.21
13-टेलीफोन पर व्यय	1.14	0.48
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	..	..
15-गाडियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.00	1.67
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00	2.08
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	20.00	8.33
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1.00	0.42
29-अनुरक्षण	10.00	4.17
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3.00	1.25
45-अवकाश यात्रा व्यय	2.25	0.94
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5.00	2.08
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सबंधी स्टेशनरी का क्रय	3.00	1.25
49-चिकित्सा व्यय	13.00	5.42
51-वर्दी व्यय	1.00	0.42
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	41.00	..
योग 03/001	**937.38**	**373.50**
3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय		
01-वेतन	1354.00	564.17
02-मजदूरी	6.00	2.50
03-महंगाई भत्ता	67.70	28.21
04-यात्रा व्यय	6.00	2.50
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.00	1.25
06-अन्य भत्ते	63.22	26.34
07-मानदेय	0.50	0.21
08-कार्यालय व्यय	6.00	2.50
09-विद्युत देय	10.00	4.17
10-जलकर/जल प्रभार	1.00	0.42
11-लेखनसामग्री और फर्मो की छपाई	4.00	1.67
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00	0.83
13-टेलीफोन पर व्यय	4.00	1.67
15-गाडियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6.00	2.50
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00	0.42
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	27.50	11.46
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2.00	0.82
29-अनुरक्षण	2.00	0.83
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.25	0.94
45-अवकाश यात्रा व्यय	3.00	1.25
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.50	1.04

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सबंधी स्टेशनरी का क्रय	4.00	1.67
49-चिकित्सा व्यय	11.00	4.58
51-वर्दी व्यय	1.00	0.42
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	81.66	..
योग 03	**1671.33**	**662.37**
लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-04-अलीगढ फूड क्रफ्ट इन्सटीट्यूट की स्थापना-आयोजनेतर		
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	143.46	59.78
53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	7.91	3.30
योग 04	**151.37**	**63.08**
लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन पुलिस बल का गठन		
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	150.00	62.50
42-अन्य व्यय	5.00	2.08
योग 08	**155.00**	**64.58**
लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-800 अन्य व्यय-03 पर्यटन सूचना और प्रचार		
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50.00	20.83
18-प्रकाशन	30.00	12.50
19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	200.00	83.33
20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	..	..
22- अथिति व्यय/व्यय विषयक भत्त आदि	2.00	0.83
42- अन्य व्यय	60.00	25.00
योग 03	**342.00**	**142.49**
कुल महायोग		**1306.02**

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2017 बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवर, 2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सं0 3/2017 बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार पुनरीक्षित वेतन के अवशेष के 50 प्रतिशत का भुगतान माह अक्टूबर 2017 से पूर्व नही किया जाना है, जिस कारण लेखानुदान अवधि के लिए मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) तथा 53- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) में व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति नही पदान की जा रही है।

(3) प्रस्तर-1 के अनुसार निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत- जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व सक्षम स्तर से ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 बी-1-1195।/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय अवचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासम्भव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए समान रूप से की जाय।

3- प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-44 के लेखानुदान में व्यवस्थित धनराशि के अन्तर्गत उक्त प्रस्तर-2 की तालिका में उल्लिखित संगत लेखाशीर्ष/मद के नामे डाला जायेगा।

4- प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2017 बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवर, 2017 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-29/2017/378(1)/41-2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
6- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
7- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग
8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।